

पत्र/मीटिंग/अधिकाश पर है। पत्रावली
दुर्भाग्यवश दिनांक 12/2/24 को पेश है।

12.2.24 वकील वादी अनुपरिधत । वादी स्वयं अनुपरिधत
बार-बार आवाज लगावाई गई लेकिन वादी
असालतन । वकालतन हाजिर नहीं होने के
कारण पत्रावली को वर्तमान स्तर पर
अडम फेकी । अडम हाजरी में रवारिज
किया जाता है ।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाड
तकमील कारिबल वफतन हो ।

(रवारि गुप्ता)
उपमण्ड अधिकारी एवं
महायक कलेक्टर
दिल्ली

